

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या-318/एक-11-2021-04(जी)/2015
लखनऊ : दिनांक : 21 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

वर्तमान में कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार के अधिनियम-2005 की धारा-50 तथा प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1647/1-11-2008 -102(जी)-06 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में कोविड-19 की द्वितीय लहर से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु आपात सामग्रियों के क्रय के लिये क्रय-प्रक्रिया में शिथिलता, वर्तमान में अधिसूचना की तिथि से **03 माह के लिये** इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि क्रय-प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकता होने पर सक्षम अनुमोदनोपरान्त उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकता है।


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-318(1)/एक-11-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।